रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) उन भूतपूर्व संसद सदस्यों को दूसरे दर्जे में एक परिचर सहित भारतीय रेलों पर किसी स्टेशन से किसी स्टेशन तक पहले दर्जे/वातानुकूल शयनयान में यात्रा करने के लिए रेलवे कार्ड पास जारी किये जाते हैं जो संसद से पेंशन लेने के पात्र हैं। एक समय में एक वर्ष की अवधि के लिए ये पास वैध होते हैं।

(ख) 31-10-1992 को 783 भूतपूर्व संसद सदस्यों को ऐसे रेलवे पास जारी किए गए हैं।

बोकारो अलेप्पी एक्सप्रेस के साथ वातानुकूलित स्लीपर डिब्बा लगाया जाना

1524. श्री गया सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बोकारो अलेप्पी एक्सप्रेस में ए० सी० स्लीपर डिब्बा लगाने का विचार रखती है, यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ख) क्या सरकार पटना से टाटा बोकारो स्टील से होते हुए कोई सुपरफास्ट रेलगाड़ी चलाने का विचार रखती है, यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं, बहरहाल आगामी वर्षों में सभी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के पहले दर्जे के सवारी डिब्बों को चरणबद्ध आधार पर हटाया जायेगा और उनके स्थान पर वातानुकूल शयनयान लगाये जायेंगे।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, यह न तो वाणिज्यिक दृष्टि से औचित्यपूर्ण है और न ही परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक।

गया और राजगीर रेलवे लाइन का जोड़ा जाना

1525. श्री गया सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गया और राजगीर रेलवे लाइनों को जोड़ने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो कब से और इस संबंध में कब तक कोई निर्णय ले लिये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पटना से दिल्ली तक राजधानी एक्सप्रेस

1526. श्री गया सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पटना से दिल्ली तक राजधानी एक्सप्रेस चलाने का विचार रखती है; यदि हां तो कब तक, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं, और

(ख) क्या सरकार की पटना—गया सिंगल लाइन के दोहरी लाइन में बदलने की कोई योजना है, यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं, परिचालनिक और संसाधनों की कठिनाई के कारण।

(ख) जी नहीं, इस लाइन पर यातायात अभी इसके दोहरीकरण को औचित्यपूर्ण सिद्ध करने के अपेक्षित स्तर पर नहीं पहुंचा है।

Travel of Ex-MPs in First Class A.C.

1527. SHRI N.E. BALARAM : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether Government propose to enable the ex-MPs to travel in First class A.C. in case his companion is not travelling